

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर-302015
(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdp-ta-rj@nic.in)

क्रमांक:- एफ.3 (ख) (एल-89 /94आर)(लिंक नं. 8913)/अलेसे-11/727 दिनांक :- 6.11.19

कार्यालय आदेश

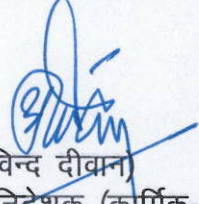
श्री ललित कुमार संगतानी, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 (लिंक नं. 8913) कार्यालय प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, कोटा क्षेत्र, कोटा के विरुद्ध नियोक्ता अधिकारी के आदेशों की अवहेलना करने के कारण विभागीय कार्यवाही प्रस्तावित होने के फलस्वरूप राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 13 में प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में तुरन्त प्रभाव से निलंबित किया गया था। श्री ललित कुमार संगतानी द्वारा दिनांक 11.10.2019 को व्यक्तिगत सुनवाई में उल्लेखित तथ्य, अभ्यावेदन बिन्दुओं के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजों की प्रतियों के मददेनजर श्री संगतानी को निलंबन से एतद् द्वारा तुरन्त प्रभाव से बहाल किया जाता है। निलम्बन अवधि समस्त प्रयोजनार्थ नियमित मानी जायेगी। श्री संगतानी के निलम्बन से बहाली उपरान्त पदस्थापन के आदेश पृथक से जारी किए जा रहे हैं।

1-5
(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.3 (ख) (एल-89 /94आर)(लिंक नं. 8913)/अलेसे-11/727 दिनांक :- 6.11.19

प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. कोषाधिकारी, कोटा।
2. श्री ललित कुमार संगतानी, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 मुख्यालय कोषालय कोटा।
3. वरिष्ठ निजी सहायक-निदेशक महोदय।
4. कम्प्यूटर अनुभाग को बेबसाईट पर अपलोड करने / पी.आई.एस इन्द्राज हेतु।
5. निजी पत्रावली/पदस्थापन सीट/गोपनीय शाखा/जांच शाखा/रक्षित पत्रावली।


(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)